प्राक्कथन

1. यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत झारखण्ड के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

2. इस प्रतिवेदन के अध्याय-I में लेखापरीक्षा इकाईयों के पृष्ठभूमि, लेखापरीक्षा के अधिकार, लेखापरीक्षा के योजना एवं संपादन, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय के संगठनात्मक संरचना एवं प्रारूप कंडिकाओं पर विभाग के प्रतिक्रिया को दर्शाता है। इस प्रतिवेदन में वर्णित लेखा परीक्षा आपत्तियों को भी इस प्रतिवेदन में लाया गया है।

3. अध्याय-II में ग्रामीण विकास, गृह (कारा), मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग, जिला केन्द्रित लेखापरीक्षा हजारीबाग के साथ रखा गया है। अध्याय-III में विभागों के लेखापरीक्षा लेनदेनों के निष्कर्षों को रखा गया है। अध्याय-IV में भवन निर्माण विभाग के मुख्य नियंत्री पदाधिकारी आधारित लेखापरीक्षा पर टिप्पणियों को रखा गया है।

4. अध्याय-V में सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों के लेखापरीक्षा में उठाये गये आपत्तियाँ समाविष्ट है। सरकारी कम्पनियों की लेखों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 के अनुच्छेद 619 के प्रावधानों के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा संचालित किया जाता है।

5. (क) राज्य सरकार के वित्तों पर निष्कर्ष एवं (ख) राजस्व प्राप्तियों के निष्कर्षों पर अलग से प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है।

6. प्रतिवेदन में उल्लिखित मामले उनमें से जो वर्ष 2010-11 के दौरान लेखा की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए तथा उनमें से जो पूर्व के वर्षों में ध्यान में आए थे परन्तु पूर्ववर्ती प्रतिवेदन में सम्मिलित नहीं किए जा सके, वर्ष 2010-11 के बाद की अवधि से संबंधित मामले, जहाँ आवश्यक है, भी सम्मिलित किए गए हैं।